[illegible] को
[illegible] 28.8.25 को
दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

28.8.25 पत्रावली पेश हुई
पत्रावली देखी गई। पश्चिमी अरावली उप।
विभागी H.H.S. को पत्रावली पेश करने हेतु पर्याप्त
अवसर दिये जाने के उपरान्त भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने
पर पत्रावली का अवसर समाप्त किया जाता है।
तहसीलदार सिणधरी से तलबाना रिपोर्ट प्राप्त की
जिस पर उपखण्ड की कार्यवाही की गई।
निस्तारण प्रमाणित का अवलोकन तथ्यों एवं
विधिपरक होने से स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली नियम अनुसार दिनांक बाद
हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:09:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner